(लोक सभा द्वारा ....28.3.2022.... को पारित रूप में)

<u>2022 का विधेयक संख्यांक 21-सी</u>

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022

त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 है । संक्षिप्त नाम ।

सं0आ0 22 **2.** संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 15 -- त्रिपुरा की, प्रविष्टि 9 में, मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

"(iiiक) डार्लोंग ।"।